

Note : The principal notification No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 07/2022 – Central Tax (Rate), dated the 13th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 553(E), dated the 13th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

सं. 13/2022-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 920(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में

(i) क्रमांक 102 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"जलीय फ्रीड समेत झींगा फ्रीड और झींगा फ्रीड, पोल्ट्री फ्रीड और पशु फ्रीड सहित घास, घास और पुआल, पूरक और योजक, गेहूं की भूसी और डीऑइल केक- [चावल की भूसी से भिन्न]";

(ii) क्रमांक 102ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)
"102ग	2302,2309	चिल्ला सहित दालों की भूसी, चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र"।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी।

[फा सं. सीबीआईसी-190354/316/2022-टीआरयू सेक्शन-सीबीईसी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2022 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 13 जुलाई, 2022, जिसे सा.का.नि. 554(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2022

No. 13/2022-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 920(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, -

- (i) against S. No. 102, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

“Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and additives, wheat bran and de-oiled cake [other than rice bran]”;

- (ii) after S. No. 102B and the entries relating thereto, following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“102C	2302, 2309	Husk of pulses including Chilka, Concentrates including chuni or churi, Khanda”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2023.

[F. No. CBIC-190354/316/2022-TRU Section-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 07/2022 – Integrated Tax (Rate), dated the 13th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 554(E), dated the 13th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

सं. 13/2022-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 921(अ).— संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में

- (i) क्रमांक 102 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"जलीय फ्रीड समेत झींगा फ्रीड और झींगा फ्रीड, पोल्ट्री फ्रीड और पशु फ्रीड सहित घास, घास और पुआल, पूरक और योजक, गेहूं की भूसी और डीऑइल केक- [चावल की भूसी से भिन्न]";

- (ii) क्रमांक 102ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)
“102ग	2302,2309	चिल्का सहित दालों की भूसी, चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र”।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी।

[फा सं. सीबीआईसी-190354/316/2022-टीआरयू सेक्शन-सीबीईसी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव